न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 43/2026 बउनवानी हरिकेश गुर्जर **बनाम** तहसीलदार मलारना डूँगर
निवासी खिरनी तहसील मलारना डूँगर

Appeal Number- 32191205890106

GCMS No-2026/ 102

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 23.2.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डॅगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***ग्राम खिरनी के ख0न0 5011,5012,2013की वर्ष 2010 से 2026 तक की समस्त गिरदावरी के संबंध मे 3 बिन्दुओ की प्रमाणित प्रति प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना अधि./2026/568 दिनांक 13.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 36.2.2026 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2020 तक की भिजवायी जा चुकी है तथा शेष अवधि की खसरा गिरदावरी ऑनलाईन पोर्टल अपना खाता से प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण दिया जाना सम्भव नही है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना भी ऑन लाईन पोर्टल पर दर्ज होने बाबत अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सूचना (कब्जा काश्त वाले कॉलम संख्या 11 की यथावत प्रमाणित प्रति) उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.2.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 की आंशिक सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 की शेष सूचना एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलान्ट अपना खाता पोर्टल से प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 2 मे चाही गयी सूचना खसरा गिरदावरी के अनुसार अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा सकती है खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 11 मे पृथक से किसी प्रकार का अंकन किया जाना सम्भव नही है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी अथवा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner